भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 6410
गुरुवार, 2 अप्रैल, 2026/12 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन क्षेत्र में दुर्घटनाएं

6410. श्री सागर ईश्वर खंड्रेः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान हाल ही में हुई एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के साथ-साथ अन्य घातक घटनाओं सहित कई विमानन दुर्घटनाओं पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विमान कंपनियों, पंजीकृत ऑपरेटरों और हेलीकॉप्टर सेवाओं की कोई व्यापक सुरक्षा संपरीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से तकनीकी विफलताओं, मौसम के आकलन और विनियामक खामियों जैसे कारणों के संबंध में इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जवाबदेही तय करने, निगरानी को सुदृढ़ करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) वर्ष 2025 और 2026 (आज की तारीख तक) के दौरान, 08 घातक घटनाओं सहित कुल 16 दुर्घटनाएँ हुई हैं। वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा विमान (दुर्घटनाओं/घटनाओं की जांच) नियम, 2025 के अनुसार सभी दुर्घटनाओं की जांच के आदेश दिए गए हैं और ये जांच प्रगति पर हैं।

(ख) से (घ) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास नियमों और नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के अनुपालन की निगरानी के लिए व्यवस्थित सुरक्षा निरीक्षण तंत्र विद्यमान है, जिसके अंतर्गत सभी विमान और हवाईअड्डा प्रचालक शामिल हैं। सुरक्षा निगरानी प्रक्रिया में विनियामक संपरीक्षा, रात्रि निगरानी, रैंप निरीक्षण, औचक जांच और विशेष संपरीक्षा शामिल हैं। डीजीसीए अपनी वेबसाइट पर वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) प्रकाशित करता है। संपरीक्षा, निगरानी और औचक जांच के निष्कर्षों के अनुपालन के लिए संबंधित प्रचालक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, प्रचालक द्वारा की गई कार्रवाई के अनुपालन की अगली संपरीक्षा / निगरानी के दौरान जांच की जाती है।

एयरलाइनों, चार्टर प्रचालकों, हेलीकॉप्टर सेवाओं की विनियामक संपरीक्षा और विशेष संपरीक्षा का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	विनियामक संपरीक्षा	विशेष संपरीक्षा
2025	56	09
2026	12	29

डीजीसीए ने हाल ही में, दिनांक 27/03/2026 को "विमान द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को लाने-ले-जाने संबंधी दिशानिर्देश" जारी किए हैं, जिसमें सभी हितधारकों द्वारा इन्हें कड़ाई से अनुपालन का निर्देश दिया गया और ऐसी उड़ानों के परिचालन में सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रभावी उपायों को अपनाने का आदेश दिया गया है।

डीजीसीए ने 2 चरणों अर्थात फरवरी, 2026 और मार्च, 2026 में एनएसओपी धारकों की सुरक्षा संपरीक्षा की है। इसके अतिरिक्त, डीजीसीए ने एनएसओपी धारकों की सुरक्षा संपरीक्षा के दो और चरणों की योजना बनाई है।

यदि संपरीक्षा / निगरानी के दौरान नियमों का कोई उल्लंघन / गैर-अनुपालन पाया जाता है, तो डीजीसीए द्वारा वित्तीय दंड सहित प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है।
